

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (बिहार सरकार)
के अधीन “अमीन (जिला उप संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन /
भूमि सुधार उप-समाहर्ता कार्यालय / भू-अर्जन निदेशालय)” के
रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार
पर पैनल निर्माण

वर्ष-2019

विवरण-पुस्तिका

ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : 22.01.2020

LIST OF DOCUMENTS प्रमाण पत्रों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक - विवरणी	व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र (Admit Card)।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद् / पषद या समकक्ष द्वारा निर्गत।
2.	मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो।	सम्बन्धित बोर्ड / समकक्ष द्वारा निर्गत।
3*	जाति प्रमाण पत्र	स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत
4.	चरित्र प्रमाण पत्र	जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य।
5*	आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है।)	स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत
6*	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र	स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा निर्गत।
7.	हाल का खिचा गया फोटोग्राफ	स्वहस्ताक्षरित फोटो।
8*	i. बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र या ii. शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र या iii. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक / आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी (Employee) हैं। या iv. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक / आवेदक के माता / पिता भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में कार्यरत हैं। या v. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक / आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स ऑर्गनाईजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं। या vi. वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो किन्तु जिनके माता / पिता बिहार में स्थायी / लगातार दस वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने के कारण अपनी पात्रता (Eligibility) का दावा करते हों, अर्हक (Qualifying) परीक्षा में जिस संस्थान से सम्मिलित हो रहे हों उसके नामांकन रजिस्टर में उनका जो स्थायी पता दर्ज हो, उसके उल्लेख के साथ एतद् सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी दें।	स्थायी निवास के अंचाधिकारी के द्वारा निर्गत सम्बन्धित जिला पदाधिकारी (अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत ए.डी.एम.) / शरणार्थी निबन्धन पदाधिकारी। सम्बन्धित नियोजनकर्ता। सम्बन्धित नियोजनकर्ता। सम्बन्धित नियोजनकर्ता। सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य।
9*	स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है।	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
10*	संविदा पर नियोजित अमीन के अनुभव का प्रमाण पत्र।	नियंत्री पदाधिकारी के अनुसंशा के आधार पर अपर समाहर्ता द्वारा निर्गत। (परिशिष्ट-2 के प्रपत्र के अनुसार)
11*	सर्विस मैन कोटा (SMQ) प्रमाण पत्र।	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
12*	दिव्यांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र।	मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत।

* NOTE: To be furnished, wherever applicable.

विवरण-पत्रिका

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (बिहार सरकार) के अधीन
“अमीन (जिला उप संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन / भूमि सुधार
उप-समाहर्ता कार्यालय / भू-अर्जन निदेशालय)” के पदों पर नियुक्ति हेतु
ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण**

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-4/क्षे० स्था० अमीन-01/2011-918(4)/रा०, पटना दिनांक 20.12.2019, पत्रांक-4/क्षे० स्था० (विविध) अमीन परीक्षा-14/2017-112(4) रा०, पटना दिनांक 27.02.2019 एवं पत्रांक-4/क्षे० स्था० (विविध) अमीन परीक्षा-14/2017-450(4)/रा०, पटना दिनांक 05.12.2019 द्वारा संसूचित अध्यायना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन “अमीन (जिला उप संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन / भूमि सुधार उप-समाहर्ता कार्यालय / भू-अर्जन निदेशालय)” के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड (Computer Based Online) परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण किया जायेगा।

(क) पदों की कोटिवार संख्या :

सामान्य	पिछड़ा वर्ग		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग महिला	दिव्यांग (किसी भी कोटि से)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए		स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी (किसी भी कोटि से)	कुल	
	म०	म०	म०	म०	म०	म०	म०	म०							
433	247	143	69	210	110	185	103	31	2	55	68 (दृष्टि-16 मुकबधिर-21 चलन-19 मनोविकार-12)	129	50	30	1767

(नोट : उपर अंकित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है ।)

वेतनमान : 5200-20200 + ग्रेड-पे 2000/- (अपुनरिक्षित)।

(ख) शैक्षणिक योग्यता :

अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / समकक्ष संस्थान से इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

(ग) स्वास्थ्य संबंधी योग्यता :

आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि सम्बन्धित पद / पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन को सक्षमता के साथ वे पूरा कर सकें ।

चयनित उम्मीदवार को योगदान के समय असैनिक शल्य-चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

(Medical Fitness Certificate) लिया जायेगा।

1.1 राष्ट्रीयता :

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए ।

1.2 आयु-सीमा :

i. उम्र की सीमा दिनांक 01.08.2019 के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

न्यूनतम आयु - 18 वर्ष ।

अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

- ii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 10.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों का जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छुट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छुट अनुमान्य है।
- iii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में वितायी गयी सेवाअवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी। वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

1.3 आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

- (i) नियुक्ति के लिए इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा हेतु, ऑन-लाईन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।
- (ii) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी हो और जिन्हें बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी से आरक्षण के लिए विधि वत् एवं उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उन्हें ही आरक्षण-लाभ के योग्य माना जायेगा।
- (iii) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें Unreserved (UR) श्रेणी में माना जायेगा।

1.4 दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती / नाती / नतीनी के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :-

निम्नलिखित दोनों आरक्षण क्षैतिज होगा।

- i. दिव्यांगजनों के लिए (किसी भी कोटि से) दृष्टि दिव्यांगता के लिए 16, मुकबधिर दिव्यांगता के लिए 21, चलन दिव्यांगता के लिए 19 एवं मनोविकार दिव्यांगता के लिए 12 पद आरक्षित हैं।
- ii. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी (किसी भी कोटि से) के लिए 30 पदें आरक्षित हैं।

2. ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) हेतु चयन की प्रक्रिया :

अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का लघुसूचीकरण (Short-listing) अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट एवं इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों का उनके अनुभव के आधार पर विभाग / परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा, जो कुल रिक्तियों के 10 गुणा से कम नहीं होगा। राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को उनके अनुभव के लिए अंकों की गणना अपर समाहर्ता द्वारा निर्णत प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।

3. ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (परीक्षा का विषय) :

- (i) प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें जिसमें निम्नलिखित दो भाग होंगे -
प्रथम खण्ड : सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिन्दी - 50 अंक।
द्वितीय खण्ड : सामान्य गणित - 25 अंक।
- (ii) सभी प्रश्न इंटरमीडिएट स्तरिय वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 (एक) अंक दिये जायेंगे।
- (iii) परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी / हिन्दी होगा।
- (iv) परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी।
- (v) परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी।

4. Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्यट के Website: bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर "Online Portal of Amin" Link पर Click कर "Apply Online" Link पर Click करें। इसके उपरांत आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

(i) Step-One (Registration):

अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन पत्र भरने हेतु "Click here for Registration" Link पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर मांगे गये सभी सूचनाओं को सही-सही प्रविष्ट कर अपने Registration की प्रक्रिया को पूरी करें। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email_id एवं mobile No. का हस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि Registration एवं अन्य संबंधित सूचनाएँ उसी email_id एवं mobile no. पर भेजी जाएगी। सफलतापूर्वक Registration एवं अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ उसी email_id एवं mobile no. पर भेजी जाएगी। सफलतापूर्वक Registration उपरांत अभ्यर्थी के email_id एवं mobile no. पर Provisional Registration Number एवं Password भेजी जाएगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित email_id, Mobile Number एवं प्राप्त Provisional Registration Number तथा Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी अन्यथा पर्वद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) Step-Two (Basic Details):

सफलतापूर्वक Registration हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी अपना Registration Number एवं Password डालकर Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा कम्प्यूटर स्क्रीन पर Basic Details से सम्बन्धित Required Entries को पूरी तरह भरें एवं Save & Next बटन पर Click करें।

(iii) Step-Three (Educational Qualification Details):

Basic Details भरने के बाद अभ्यर्थी कम्प्यूटर स्क्रीन पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित Required Entries को पूरी तरह भरे एवं Save & Next बटन पर Click करें।

(iv) Step-Four (Work Experience):

Educational Qualification Details भरने के बाद अभ्यर्थी कम्प्यूटर स्क्रीन पर कार्य अनुभव (Work Experience) से सम्बन्धित Required Entries को पूरी तरह भरें एवं Save & Next बटन पर Click करें।

(v) Step-Five (Upload Photo, Signature & Documents):

Work Experience / कार्य अनुभव से सम्बन्धित सूचनाओं को भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च Contrast का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें। साथ ही कम्प्यूटर स्क्रीन पर मांगे जा रहे बाँछित अभिलेखों की Scan Copy को JPG या PDF Format में निर्धारित स्थान पर Upload कर Save & Next बटन पर click करें।

(vi) Step-Six (Preview your Application):

अभ्यर्थी अपना Photo, Signature एवं बाँछित अभिलेखों को Upload करने के बाद अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जाँच लें। यदि जाँच के क्रम में Step-Two, Step-Three, Step-Four एवं Step-Five में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने इस सूचना को Back बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Next बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दी गयी सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गये आवेदन पत्र के Review में सारी सूचनाएँ सही है तो अपना Declaration देकर "Final Submit" बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें।

(vii) Step-Seven (Payment of Examination Fee):

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर "Final Submit" करने के बाद "Proceed to Payment" बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की निम्नांकित दो प्रक्रियाएँ हैं;

(क) बैंक चालान के माध्यम से भुगतान : अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Offline / NEFT Challan Option को Select कर अपना Challan Download कर Print निकाल लें एवं Challan पर अंकित परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी बैंक में जाकर Cash / NEFT के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी किसी कारणवश Challan पर अंकित परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं तो अभ्यर्थी पुनः अपने Account में Login कर उपरोक्त प्रक्रियानुसार दूबारा Challan Download कर Print निकाल लें एवं Challan पर अंकित परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी बैंक में जाकर Cash / NEFT के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी ऐसा नहीं करते हैं तो चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को असफल मान लिया जायेगा।

चालान के माध्यम से किये जाने वाले परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को Update होने में लगभग 1(घंटे) का समय लग सकता है। अगर उनका Payment Update नहीं होता है तो वे कम से कम 24 घंटे का इंतजार करें। अगर तब भी Payment Update नहीं होता है तो बाँछित अभिलेखों जैसे चालान की कॉपी को Scan कर निर्धारित तिथि एवं समय से पहले helpdesk के **email_id: helpdesk.bcecebamexam@gmail.com** पर mail कर दें। निर्धारित तिथि के बाद Payment update नहीं होने जैसी समस्याओं हेतु प्राप्त email पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

(ख) Online Payment : अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से online option को Select कर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

(ग) उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;

सामान्य/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 200/- (दो सौ) रुपये की राशि एवं सामान्य / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को 100/- (एक सौ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष / महिला अभ्यर्थी एवं दिव्यांग कोटि (Disable Quota) के पुरुष / महिला अभ्यर्थियों के लिए 100/- (एक सौ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(viii) Step-Eight (Download / Print Application Form/ Money Receipt): पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन पत्र को Download कर Print निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ होंगी, जिसका उपयोग भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है एवं किसी प्रकार की जाँच के क्रम में प्रस्तुत करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा कहा जा सकता है।

नोट :(a) सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी के Email_id पर एक Confirmation mail भेजा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाएँ अंकित होगी।

(b) Download किये गये आवेदन पत्र की Hard-copy को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

(c) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में किसी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।

(d) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।

(e) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लें।

(ix) अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़-छाड़ किया गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(x) ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को Online Computer Based परीक्षा (CBT) हेतु चयन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा Upload किये गये प्रमाण-पत्र / अंक पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेखों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(xi) Online Computer Based परीक्षा (CBT) में सफल / उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जाँच ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं एवं Upload किये गये अभिलेखों से मिलान करने के क्रम में गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। साथ ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(xii) ऑनलाईन आवेदन भरने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Registration / ऑनलाईन आवेदन भरने / परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रारम्भ तिथि | : 23.12.2019 |
| 2. ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु Registration की अंतिम तिथि | : 22.01.2020 |
| 3. Registered अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान Download करने की अंतिम तिथि | : 20.01.2020 |
| 4. Registered अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने एवं चालान / डेबिट / क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | : 22.01.2020 |
| 5. प्रस्तावित परीक्षा (CBT) की तिथि | : 15.02.2020 एवं 16.02.2020 |

5. **परीक्षा केन्द्र एवं प्रवेश-पत्र (Admit Card) :**

(i) परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। किसी भी हालत में निर्धारित परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) प्रवेश पत्र : (Admit Card)

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: **bceceboard.bihar.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह उस पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ लें।

(ख) अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card) निम्न विधि से प्राप्त कर सकते हैं;

अभ्यर्थी पर्षद के Website : **bceceboard.bihar.gov.in** पर जाकर Download Admit Card of AMIN-2019, Link पर Click करेंगे, तदुपरान्त अभ्यर्थी Portal के निर्धारित स्थान पर अपना Registration No. एवं जन्म तिथि डालकर Submit Button पर Click कर Admit Card Download कर लें।

अथवा

अपना Email Id एवं Password डालकर Sign In Button पर Click कर Login करें एवं Download Admit Card बटन पर Click कर Download कर लें।

(ग) प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो नोडल पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, द्वारा- बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 4 (चार) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

नोट : प्रवेश-पत्र (Admit-Card) के निर्धारित स्थान पर आवेदक-परीक्षार्थी का परीक्षा के समय वीक्षक (Invigilator) के समक्ष पूरा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है ।

6. मेधा सूची (Merit List) :

(i) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर घोषित परीक्षाफल के अनुसार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

परन्तु यह कि, अनुभव की गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी एवं एक कैलेण्डर वर्ष में छः माह से अधिक के अनुभव को एक वर्ष एवं छः माह के कम अनुभव को शून्य वर्ष माना जायेगा ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण निम्न रूप से किया गया है -

सामान्य वर्ग 40% , पिछड़ा वर्ग 36.5% , अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग 32% ।

उपरोक्त क्वालीफाईंग मार्क्स दोनो विषयों में अलग-अलग प्राप्त करना आवश्यक है।

(iii) प्रत्येक पद के लिए, पदवार मेधा-सूची , उम्मीदवारों द्वारा अपने पद-संवर्ग की इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल लब्धांक (Total Marks) एवं कंडिका-6.(i) के अनुसार दिए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी ।

(iv) अगर किसी पद-संवर्ग की कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा में, दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाला लब्धांक (Total Marks) बराबर होगा तो मेधाक्रम का निर्धारण निम्नांकित विधि से किया जायेगा:-

(क) जिस उम्मीदवार को कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के विषय खंड-A में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उसका मेधाक्रम उपर रहेगा । अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो तब -

(ख) जिस उम्मीदवार को कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के विषय खंड-B में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उसका मेधाक्रम उपर होगा ।

(ग) अगर इसके बावजूद भी स्थिति अनिर्णायक हो तो जिस उम्मीदवार की आयु ज्यादा हो, उसका मेधाक्रम उपर रहेगा।

7. काउन्सेलिंग / अन्तर्वीक्षा (Interview):

(i) मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधाक्रमानुसार, काउन्सेलिंग / अन्तर्वीक्षा (Interview) के लिये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना द्वारा बुलाया जायेगा और उनके मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जायेगी। इस काउन्सेलिंग / अन्तर्वीक्षा Interview एवं प्रमाण-पत्रों के जांच के उपरान्त, निर्णयानुसार जिस

उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु योग्य समझा जायेगा, उन्हें ही नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जायेगा।

- (ii) कॉउन्सेलिंग / अन्तर्वीक्षा (Interview) के सम्बन्ध में समय, तिथि एवं स्थान की जानकारी, मेधा-सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को पर्यद के वेबसाईट के माध्यम से / समाचार-पत्र पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- (iii) कॉउन्सेलिंग / अन्तर्वीक्षा में उम्मीदवारों को इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card), अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

9. परीक्षा शुल्क :

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Unreserved (UR)/ EWS/ EBC / BC (Male) | - | Rs.200/- |
| 2. Unreserved (UR)/ EWS/ EBC / BC (Female) | - | Rs.100/- |
| 3. SC/ST/DQ (Male / Female) | - | Rs.100/- |

10. अन्य निदेश :

- i. अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टि अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी संशोधन नहीं की जायेगी।
- ii. अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- iii. किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता / अपात्रता के बिन्दु पर पर्यद / विभाग का निर्णय अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें पर्यद द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा।
- iv. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।
- v. किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत / अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- vi. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिना कारण बताये पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके अतिरिक्त इस तरह के समान अतिरिक्त पद / पदों पर भी इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन का अधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड को सुरक्षित होगा।
- vii. विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में उल्लिखित इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी सूचना / प्रावधान को संशोधित / विलोपित / परिवर्तित का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को होगा। ऐसे संशोधन / विलोपन / परिवर्तन को अन्तर्वीक्षा (interview) से यथा साध्य पहले या अन्तर्वीक्षा (interview) के समय उम्मीदवार को सूचित कर दिया जायेगा।
- viii. बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के आलोक में अगर किसी उम्मीदवार / आवेदक/ परीक्षार्थी को अनुचित तरीका अपनाने या कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जायेगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द करते हुये उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- परीक्षा केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लूटूथ आदि / इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस / मोबाईल फोन या अन्य निर्देशित वस्तुओं को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / डिवाइस के प्रयोग करने पर परीक्षार्थी / उम्मीदवार को परीक्षा से निष्काषित करने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / डिवाइस जब्त करने, उम्मीदवारी रद्द किये जाने सहित उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी की जायेगी।
- ix. यह कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा सिर्फ मेधाक्रमानुसार पैनल निर्माण के लिए ही आयोजित है। इसके आधार पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है।
- x. इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण के सम्बन्ध में किसी विवाद को, उच्च न्यायालय, पटना या पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर किया जायेगा वही वाद मान्य होगा।
- सूचना एवं पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर वाद हेतु नोडल पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वाद / प्रतिवाद दायर किया जा सकेगा।

- xi. अगर भूलवश किसी आवेदक / उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेधा सूची में सम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो जैसे उम्मीदवार को मेधा सूची में सम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में आवेदक उम्मीदवार का दावा / अधिकार अमान्य होगा ।
- xii. इस कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र (Admit Card) निर्गत हो जाने से ही नियुक्ति हेतु दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।
- xiii. अगर किसी आवेदक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।
- xiv. आवेदक / उम्मीदवार के लिए इस विवरण-पुस्तिका में सम्मिलित किसी नियम / सूचना / प्रावधान को परिवर्तित या विलोपित करने का अधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / बोर्ड को सुरक्षित होगा ।
- xv. आवेदक / उम्मीदवार के लिए कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षा के पूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा के उपरान्त निर्गत निर्देश जो निर्धारित Website पर / समाचार पत्रों में दिये जायेंगे, वे सभी नियम / निर्देश इस विवरण-पत्रिका (Prospectus) के ही भाग होंगे ।
- xvi. मेधा सूची प्रकाशन के उपरान्त अन्तर्वीक्षा (interview) में मूल प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जायेगी । अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण-पत्र होने / परीक्षा में स्वयं नहीं बैठने या अन्य रूप में कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जायेगा तो उनकी उम्मीदवारी तत्क्षण रद्द करने एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जा सकती है ।

.....

खण्ड- 'क' : General Awareness - 50 Marks

Section No.	Sub-Section	Domain	Topics	Sub-topics
I	General Knowledge	Indian Republic	Main features of History/Culture/ Geography /Economics Scenario/Agriculture and Natural resources of India and Bihar	Indian History
				Indian Culture
				Freedom Movement of India
				Indian Geography & Natural Resources
				Indian Agriculture & Economy
				History of Bihar
				Culture of Bihar
				Bihar's contribution in Freedom Movement of India
				Bihar related Geography and Natural Resources
				Bihar related Agriculture and Economy
				India's Natural Resources
		Indian Constitution and Political system of India	Constitution & Political system of India.	Constitution & Political System of India.
			Origin and Development of India's constitution and political system.	Origin and Development of India's Constitution and Political System.
			Panchayat Raj	Panchayati Raj
	Current Affairs	Current affairs and contemporary topics	International and national Events	International Events
			National and International Awards	National events ,
			Sports And Sports Personality	International
			Scientific development	National
				Sports
	General Science	Physics	Light	Application of Refelection, Refraction, Uses of Convex and Concave lens/mirrors
			Electricity	Resistance series, Voltmeter, Ammeter, Transformer, Rectifier, AC and DC current.
			Force & Motion	Types of Force, and Application of newton law of motion
			Work, Energy, Power	Types of energy, conversion of energy
			Sound	Sound and its properties
		Chemistry	Acid bases and salts	Acid bases and salts
			Carbon and its compound	Carbon and its compound
			Atoms & Molecules	Atoms & Molecules
			Structure of the Atom	Structure of the Atom
		Biology	Control and coordination	Control and coordination
			Fundamental Units of Life (Cell)	Fundamental Units of Life (Cell)
			Disease and its causes	Disease and its causes
		General Hindi	Hindi	Hindi Grammar
	Mishr & Sanyukt Vakya			
Vakyon ka Rupantaran				
Alankar				
Samas				
Swarsandhi				
Muhavare & Lokokityan				
Ashud Vakya Shodhan				

खण्ड- 'ख' : General Mathematics - 25 Marks			
Section No.	Section Name	Topics	Sub-Topics
II	General Mathematics	Number System	Basics of Number System
			Simplification
			HCF/LCM
		Time & Work	Basic question of time and work
			Pipes and Cisterns (Easy ones)
		Mensuration	Perimeter
			Areas
			Volumes
		Ratio and Proportion	Ratio
			Proportion
		Geometry	Circles
			Triangles
			Quadrangles
		Average	Basic questions of averages
		Profit and Loss, Discount	Relation of SP and CP
			Relation SP and MP
			Discount
		Percentage	Basics of percentages
			Percentage Change
		Time and Distance	Average Speed
			Relative Speed
			Boats, Trains & Platforms
		Simple and Compound Interest	Simple Interest
			Compound Interest

परिशिष्ट-2

राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों का अनुभव के आधार पर अंकों की गणना निम्न प्रपत्र में उनके नियंत्री पदाधिकारी के अनुशांसा के आधार पर अपर समाहर्ता द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रपत्र

कार्यालय का नाम

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
पुत्र / पुत्री कार्यालय
में राज्य सरकार के अधीन अमीन के पद पर संविदा पर कार्यरत हैं / थे।

श्री / श्रीमती / सुश्री उक्त पद पर वर्षवार, निम्न रूप से कार्य किये तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर मानदेय का भुगतान किया गया है:-

1. दिनांक से दिनांक तक, कुल दिन का भुगतान किया गया है।
2. दिनांक से दिनांक तक, कुल दिन का भुगतान किया गया है।
3. दिनांक से दिनांक तक, कुल दिन का भुगतान किया गया है।
4. दिनांक से दिनांक तक, कुल दिन का भुगतान किया गया है।
5. दिनांक से दिनांक तक, कुल दिन का भुगतान किया गया है।

इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है और न ही उन्हें दण्डित किया गया है।

(नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर)
पदनाम एवं मुहर

(हस्ताक्षर)
अपर समाहर्ता